न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
अपील/एलआर /99/2014

मांगू बनाम सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	दी गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
29.5.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु नियत है। वकील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में दर्ज करवाया जाना तथा अपीलाधीन निर्णय भी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना अवगत कराया। पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष इस बात पर सहमत है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र की अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नही है परन्तु निर्णय में वाद पत्र लिखा होने व निर्णय की डिक्री जारी होने से इसे वाद पत्र माना जा कर न्यायालय हाजा द्वारा ही निर्णित किये जाने का निवेदन राजकीय अधिवक्ता द्वारा किया गया है। पूर्व में दिनांक 17.6.14 को इस न्यायालय ने श्रवणाधिकार में मान कर ही दर्ज की थी अतः बहस सुनी जावे। पत्रावली पर इसी बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का प्रकरण मान कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित है परन्तु उनवान में वाद पत्र लिख दिये जाने व डिक्री जारी करने के आधार पर प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के बाहर नही माना जा सकता है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही होने से अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से अपील इसी स्तर पर ही खारिज की जाती है। अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील के दाखिल दफतर हो। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाड़ा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा	